"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 नवम्बर 2021—कार्तिक 21, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 अक्टूबर 2021

क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री नुपूर राशि पन्ना, भा.प्र.से. (2015), अपर कलेक्टर, जिला-दुर्ग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, चन्दूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

क्रमांक 775/पी.यू./07/एस.एंड.ओ/2021.—छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन अनुसूची के सरल क्रमांक 2 में उल्लेखित मैट्स विश्वविद्यालय आरंग, जिला-रायपुर को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (दूर-परिसर एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना) नियम-2020 के नियम-9 के प्रावधानानुसार मैट्स टॉवर, पंडरी परिसर, जिला-रायपुर (छ.ग.) में दूर परिसर केन्द्र (विश्वविद्यालय का ईकाई) स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है.

यह अनुमति, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की बैठक क्रमांक 775/पी.यू./07/एस.एंड. ओ/2021 दिनांक 14-06-2021 तथा छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-15/2021/38-2 दिनांक 4-10-2021 के परिपालन में जारी की जाती है.

यह अधिसूचना को राज्य शासन के सम्यक् अनुमोदन के पश्चात् जारी किया गया है.

No. 775/P.U./07/S&O/2020.—The Permission is granted to MATS University, Aarang, Dist-Raipur, Chhattisgarh, which is mentioned in the schedule as serial number 2, under sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private University (Establishment and Operation) Act, 2005 to establish off campus (Unit of the Main Campus) at MATS Tower, Pandri campus, Dist-Raipur, Chhattisgarh as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 7 of Chhattisgarh Private University (Establishment and Operation) Act 2005 and Rule 9 of Chhattisgarh Private University (Establishment of Off-Campus Center and Study Center) Rules, 2020.

The Permission is issued in compliance of Meeting No. 775/P.U./07/S&O/2020 Dated 14-06-2021 of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission and issued Letter by Government of Chhattisgarh Department of higher Education Mantralaya Letter No. f-3-15/2021/38-2 dated 4-10-2021.

This Notification is issued after due approval of the State Government.

रेणु देशमुख,
सदस्य (प्रशासनिक)/प्र.सचिव.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग छ.ग.

दुर्ग, दिनांक 27 सितम्बर 2021

प्ररूप-चार
(नियम 10 देखिए)

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना

क्रमांक 5516/नवागढ़ नि.क्षे./न.ग्रा.नि./21.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि नवागढ़ निवेश क्षेत्र के ग्राम गांगपुर व झाल के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति—

1. कार्यालय संभागीय आयुक्त दुर्ग, संभाग दुर्ग (छ.ग.)